"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/[illegible]09

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2009—कार्तिक 20, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2009/वाक/पांच (41).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3/28/2000/वि.क.-पांच (3[illegible]) दिनांक 13-04-2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

(क) अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (2) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

"छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित लोहा एवं इस्पात, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (एक), (दो), प्रवर्ग (पन्द्रह) में विनिर्दिष्ट वायर रॉड तथा प्रवर्ग (सोलह) में विनिर्दिष्ट है"

(ख) अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (4) में शब्दों एवं अंकों "केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग", जहां भी आते हों, के पश्चात् शब्दों "(दो), (पन्द्रह)" को जोड़ा जाए.

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2009 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्हीं. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-10/33/2009/वाक/पांच (41).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2009/वाक/पांच (41), दिनांक 11-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 11th November 2009

NOTIFICATION

No. F-10/33/2009/CT/V (41).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in Notification No. A-3/28/2000/ST-V (33) dated 13-04-2000,—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification:—

(a) In column (2) against S. No. 3 for the existing entry, the following entry shall be substituted :—

"Iron and Steel manufactured in the Chhattisgarh State as specified in categories (i), (ii), "wire rod" specified in category (xv) and category (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)."

(b) In column (4) against S. No. 3 after the words "in the manufacture of goods covered by categories", wherever they occur, the words "(ii), (xv)" shall be added.

2. This Notification shall come into force from 1st December, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/34/2009/वाक/पांच (42).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02-04-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है,—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अ. क्र. 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय.

2. यह संशोधन 1 दिसंबर, 2009 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-10/34/2009/वाक/पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/34/2009/वाक/पांच (42), दिनांक 11-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 11th November 2009

NOTIFICATION

No. F-10/34/2009/CT/V (42).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007,—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification S. No. 10 and entry relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force from 1st December, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच (43).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2008 से 30 अप्रैल, 2008 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	(क) विक्रेता द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल एवं जमा किया गया हो, तथा (ख) अधिक वसूल या जमा कर की वापसी प्रदाय नहीं की जाएगी.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स, स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	(क) विक्रेता द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल एवं जमा किया गया हो, तथा (ख) अधिक वसूल या जमा कर की वापसी प्रदाय नहीं की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच (43), दिनांक 11-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 11th November 2009

NOTIFICATION

No. F-10/35/2009/CT/V (43).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1st April, 2008 to 30th April, 2008 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	(i) The seller has collected and paid tax @ 2%, and (ii) No refund shall be granted for excess collection or payment of tax.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 hoops, strips, fish plate bars, bearing plate bars and end cutting thereof.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	(i) The seller has collected and paid tax @ 2%, and (ii) No refund shall be granted for excess collection or payment of tax.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.